भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3993

(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दिशा की बैठकें

3993. श्री बिष्णु पद राय:

श्री सुधाकर सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जहां विधान सभा नहीं है, ने सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जून, 2016 में (दिशा) संबंधी निर्देश जारी किए जाने के बाद से माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य और संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की कोई बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं और निगरानी बैठकों के वर्ष-वार क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन बैठकों के दौरान राज्य के विकास के संबंध में कौन-कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए हैं अथवा निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र अपनाती है कि राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और बैठकों में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाए;

(च) क्या उक्त संघ राज्यक्षेत्र के एकमात्र प्रतिनिधि ने दिनांक 07.12.2025 को आयोजित बैठक के दौरान और दिनांक 24.02.2026 के एक अभ्यावेदन के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया था; और

(छ) यदि हां, तो उक्त संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिनांक 26.07.2021 को राज्य स्तरीय दिशा समिति (रा. स्त. दि. स.) के गठन के बाद से कोई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है।

(ड.) प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा की बैठकों का समय पर आयोजन महत्वपूर्ण है। दिशा के अनिवार्य महत्व को पहचानते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि इन बैठकों का आयोजन नियमित रूप से हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर दिशा समिति की बैठकों के समय पर आयोजन करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

(च) से (छ) उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, दिनांक 07.12.2025 को कोई दिशा बैठक आयोजित नहीं की गई है। हालांकि, उक्त मुद्दे को दिनांक 07.12.2024 और 27.11.2025 को आयोजित जिला स्तरीय दिशा समिति (जि. स्त. दि. स.) की बैठकों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जिला दिशा समितियों के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24.02.2026 को अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन को प्रस्तुत एक अभ्यावेदन के माध्यम से भी उठाया गया था। दिशा मार्गदर्शिका के अनुसार, पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अगली बैठक के लिए कार्यसूची का पहला मद होनी चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से दिशा मार्गदर्शिका का पालन करने का आग्रह किया गया है।
